राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

मामला क्रमांक/202409241000002/अ–62/24–25

(1)	(2)	(3)
23/04/25	–प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण तहसीलदार बालोद से प्राप्त। –प्रकरण मे आवेदक श्री सूरजभान पिता श्री बोधन राम निवासी ग्राम बघमरा तहसील व जिला बालोद द्वारा ग्राम बघमरा प0ह0नं0 07 स्थित स्वामित्व हक की भूमि खसरा नं0 645/2 रकबा 0.58 हे0 पर लगे सागौन प्रजाति के 25 नग वृक्ष काटने की अनुमति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार बालोद को जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण मे तहसीलदार बालोद द्वारा राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. बालोद तहसील बालोद एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बालोद, जिला बालोद से संयुक्त स्थल निरीक्षण जांच कराकर, प्ररूप' –घ में प्रतिवेदन प्राप्त किये गये है प्रतिवेदन मे आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नं0 645/2 रकबा 0.58 हे0 भूमि पर 33 नग वृक्ष हरे भरे/जीवित तथा 06 नग वृक्ष सूखे हुए होना प्रतिवेदित किया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय दस्तावेजो तहसीलदार बालोद के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम बघमरा प0ह0नं0 07 तहसील व जिला बालोद स्थित भूमि खसरा नं0 645/2 रकबा 0.58 हे0 भूमि पर 39 नग सागौन का वृक्ष स्थित है जिसमे से 06 नग वृक्ष सूखे हुए होना पाए जाने से काटे जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किये गये है। प्रकरण मे तहसीलदार बालोद के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक सूरजभान पिता श्री बोधन राम ग्राम बघमरा तहसील व जिला बालोद द्वारा ग्राम बघमरा प0ह0नं0 07 स्थित स्वामित्व हक की भूमि खसरा नं0 645/2 रकबा 0.58 हे0 पर लगे सागौन प्रजाति के 06 नग सूखे वृक्ष को काटे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है आदेश की सूचना पक्षकार को दी जावे तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्व कर दाखिल अभिलेखागार हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बालोद जिला बालोद	

Scanned with CamScanner